

आधुनिक राजनीति शास्त्र के अध्ययन में राज्य के उद्देश्य और औचित्य का विवेचन एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं विचारणीय प्रश्न है। राज्य उसी प्रकार प्राकृत संस्था है जिस प्रकार मनुष्य प्राकृत है। राज्य शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक ही नहीं अभिव्यक्ति भी है। राज्य शक्ति के सर्वांगीण विकास से राज्य निर्भरता एवं सद् जीवन की प्राप्ति है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए होती है और वह सद् जीवन के लिए जीवित रहता है। इस संबंध में निम्न विचारें-

① अशासकतावादी दृष्टिकोण : — अशासकतावादियों का कहना है कि राज्य का प्राकृतिक है। ये विचार राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। राज्य व्यक्ति के सुख तथा पुगति के मार्ग में बलावत डालता है। राज्य के अन्तर्गत आदर्श जीवन असम्भव है। वर्क की कसौटी पर अशासकतावादियों का यह विचार असम्पूर्ण प्रतीत होता है।

② धार्मिक दृष्टिकोण : — प्राथमिक काल से ही राज्य तथा धर्म को एक सूत्र में बाँधने का प्रयास किया गया है। एक इन्हीं इसाई के लिए यह किसी भी तरह उचित नहीं है कि वह अपनी सरकार का विरोध करें - चाहे वह सरकार उचित काम कर रही हो या अनुचित। परन्तु राज्य के औचित्य का धार्मिक दृष्टिकोण आधुनिक वैज्ञानिक युग में समाप्त हो रहा है।

(3) शक्ति सिद्धान्त : → राज्य के अस्तित्व का आधिक्य इसकी शक्ति के आधार पर ही प्रमाणित करने का भरसक प्रयास किया गया। राज्य शक्ति व्यवस्था है। आधुनिक राजनीतिशास्त्री जिनमें रिपब्लिक, मार्क्स रॉजर्स आदि प्रमुख हैं, राज्य शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप हैं। राज्य का निर्माण केवल शक्ति मात्र से नहीं होगा बल्कि उसके निर्माण किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक निश्चित तरीके से प्रयोग की गई शक्ति से होगा।

(4) अनुबन्ध सिद्धान्त का दृष्टिकोण : → राज्य के आधिक्य का अनुबन्ध सिद्धान्त यह बताता है कि राज्य सत्ता इस लिए उचित है कि सत्ता धर्म स्वेच्छा से राज्य को सौंप दी है। अनुबन्ध को राजनीतिक सत्ता का आधार मानना उचित नहीं है।

(5) मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण : → अनेक राजनीति विचारकों के अनुसार ही अनुबन्ध स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है यह वह शासन के अधीन रहता है। लेकिन यह धारणा युक्तिसंगत नहीं लगती है कि राज्य की शक्ति के द्वारा मानव प्रवृत्ति का परिणाम है।